


तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  प्रकरण संख्या :- 02/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	<p style="text-align: center;"><b>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रार्थी का अशुद्ध नाम धन्ना पिता बिहारी जाति कुम्हार निवासी मंडावा है जिसका शुद्ध नाम रामधन पुत्र बिहारीलाल जाति कुम्हार निवासी मंडावा शुद्धिकरण करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तहसील मंडावा के ग्राम मंडावा की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 326 में प्रार्थी का नाम धन्ना पिता बिहारी के स्थान पर रामधन पुत्र बिहारीलाल करने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील मंडावा के ग्राम मंडावा की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 326 में प्रार्थी का नाम श्री धन्ना पिता बिहारी के स्थान पर रामधन पुत्र बिहारीलाल शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">           उप खाण्ड अधिकारी          झुन्झुनू (राज.)       </p>	